

उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दण्ड)

अधिनियम, 1976

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42, 1976}

**THE UTTAR PRADESH ELECTRIC WIRE AND TRANSFORMERS
[PREVENTION AND PUNISHMENT OF THEFT) ACT, 1976**

[U. P. ACT No. XLII OF 1976]

उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दण्ड)

अधिनियम, 1976।

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42, 1976}

{उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 9 नवम्बर, 1976 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 10 नवम्बर, 1976 की बैठक में स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने दिनांक 19 नवम्बर, 1976 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट, दिनांक 22 नवम्बर, 1976 को प्रकाशित हुआ।}

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के बिजली के तार और ट्रांसफार्मर या उनके पूर्णों की या उनके विनिर्माण में प्रयुक्त धातुओं की अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखने के लिये दण्ड की व्यवस्था करके बिजली के तार और ट्रांसफार्मर की चोरी के गंभीर संकट को नियंत्रित करने और उससे सम्बद्ध विषयों के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दण्ड) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 20 अगस्त, 1976 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2— जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में —

(क) “अल्यूमीनियम” के अन्तर्गत धातुपिंड, द्रवीभूत या सहित प्रत्येक प्रकार का अल्यूमीनियम है ;

(ख) “तांबा” के अन्तर्गत धातुपिंड, द्रवीभूत या निमित्त रूप सहित प्रत्येक प्रकार का तांबा है ;

(ग) “लाइसेंस प्राधिकारी” का तात्पर्य जिले के जिला मजिस्ट्रेट या इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के किसी कृत्य का सम्पादन करने के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी है।

3— (1) कोई भी व्यक्ति, उस जिले के, जिसमें वह सामान्यतया निवास करता है तांबे के

लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा दिये गये लाइसेन्स के बिना अल्यूमीनियम या तांबे के क्रय या विक्रय पर

का कारबार नहीं करेगा या ऐसा कारबार करने के लिये उनका संग्रह नहीं करेगा।

(2) लाइसेन्स देने की प्रक्रिया, उसकी विधिमान्यता का अवधि, उसे निलम्बित करने या रद्द करने, लाइसेन्स अस्वीकार, निलम्बित या रद्द करने के विरुद्ध अपील करने की प्रक्रिया, उसके संबंध में फीस, लाइसेन्सी द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और लेखा और उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां वही होगी, जो विहित की जायें।

1 — उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण के लिये दिनांक 15 नवम्बर, 1976 उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट देखिए।

{उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दण्ड) अधिनियम, 1976} 4—7}

(3) जहां किसी समय किसी व्यक्ति के पास उसके स्टॉक में विहित परिमाण से अधिक किसी परिमाण में अल्यूमीनियम या तांबा है, वहां इस धारा के प्रयोजनों के लिये,

संक्षिप्त नाम, विस्तार
और प्रारम्भ

परिभाषाएं

अल्यूमीनियम और

विक्रय और संग्रह

निर्बन्धन

{धारा

यह समझा जायगा कि उसने ऐसा अल्यूमीनियम या तांबा क्रय या विक्रय का कराबार करने के लिये संग्रह किया है।

4— कोई व्यक्ति जिसके स्टॉक में, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, धारा 3 के घोषणा

मांग स्टॉक की

अधीन विहित परिमाण से अधिक परिमाण में अल्यूमीनियम या तांबा है, उस दिनांक से जब ऐसा परिमाण प्रथमतः विहित किया जाय, पन्द्रह दिन के भीतर, लाइसेन्स प्राधिकारी को ऐसे स्टॉक को घोषित करेगा।

5— कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे में कोई बिजली के तार और ट्रांसफार्मर या उसका कोई भाग या जिसके कब्जे में धातुपिंड के रूप में या द्रवीभूत या निमित्त या किसी अन्य रूप में कोई तांबा या अल्यूमीनियम (जो धारा 3 के अधीन विहित परिमाण से अधिक हो) पाया जाता है शास्ति

बिजली का तार या

ट्रांसफार्मर की विधि

में रखने के लिए

या यह साबित हो जाय कि पाया गया है :—

(1) जिसके बारे में यह युक्तियुक्त सन्देह हो कि वह चुराया गया है या विधि विरुद्ध प्राप्त किया गया है और जिसके संबंध में वह, यह साबित करने में असफल रहा है कि उसने उसका कब्जा विधिपूर्वक प्राप्त किया था, या

(2) जिसे, उसने यथास्थिति, धारा 4 के अधीन घोषित न किया हो या धारा 3 के अधीन विहित रजिस्टर या विवरणी में दिखाया न हो—

(क) प्रथम अपराध के लिये कारावास से जिनकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा और विशेष और पर्याप्त कारण के, जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किये जायेंगे, अभाव में ऐसा कारावास एक वर्ष से कम का नहीं होगा और ऐसा जुर्माना एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा;

(ख) द्वितीय या किसी अनुवर्ती अपराध के लिये कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा और विशेष और पर्याप्त कारण के, जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किये जायेंगे, अभाव में ऐसा कारावास दो वर्ष से कम का नहीं होगा और ऐसा जुर्माना दो हजार रुपये से कम का नहीं होगा।

6— भूमि या भवन के कोई स्वामी या अध्यासी या उस भूमि या भवन के प्रबन्ध के प्रभारी ऐसे स्वामी या अध्यासी का कोई एजेंट, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के किसी लिये दण्ड उल्लंघन को जानबूझ कर अनदेखी करता है, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

अपराध के प्रति

मौनानुकूलता के

7— इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध पर विचार करने वाला कोई समपहरण

गाड़ी आदि का

न्यायालय किसी ऐसी सम्पत्ति का, जिसके बारे में न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि इस की अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, सरकार के पक्ष में समपहरण किये जाने का आदेश दे सकता है और किसी ऐसे पात्र, पैकेज या आवेष्टक का, जिसमें ऐसी सम्पत्ति हो और ऐसी संपत्ति के वहन में प्रयुक्त पशुओं, गाड़ियों, या अन्य वाहनों का समपहरण किये जाने का आदेश भी दे सकता है।

करने का आदेश देने

न्यायालय की शक्ति

{उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दण्ड) अधिनियम, 1976}

{धारा 8—10}

8— लाइसेन्स प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य की शर्तों

लाइसेन्स प्राधिकारी

अधिकारी, ऐसी सहायता से, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे।

(क) किसी स्थान, भू-गृहादि, गाड़ी या जलयान के, जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास का करने का कारण हो कि इस अधिनियम के उपबन्धों का या इसके अधीन जारी किये गये किसी लाइसेन्स की शर्तों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, या किया जाने वाला है, स्वामी, अध्यासी या किसी प्रभारी व्यक्ति से, कोई बही, लेखा अन्य दस्तावेज जिसमें ऐसे उल्लंघन से सम्बद्ध संव्यवहारों को दिखाया गया हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) किसी स्थान या किसी स्थान, भू-गृहादि, गाड़ी या जलयान के, जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के उपबन्धों का या इसके अधीन जारी किये गये किसी लाइसेन्स की शर्तों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, या किया जाने वाला है, प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है या उसे तोड़ सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है;

(ग) किसी ऐसे दस्तावेज से, जिसमें उक्त उल्लंघन से सम्बन्धित संव्यवहार को दिखाया गया हो, उद्धरण या उसकी प्रतिलिपियां ले सकता है या लिखा सकता है;

(घ) अल्यूमीनियम और तांबे के स्टाक की और उनका इस अधिनियम के उपबन्धों का या उसके अधीन जारी किये गये, लाइसेन्स की शर्तों का उल्लंघन करते हुए वहन करने में जिन पशुओं, गाड़ियों, जलयानों या अन्य वाहनों का प्रयोग किया जाय, उनकी तलाशी ले सकती है, अभिग्रहण कर सकता है और हटा सकता है और तत्पश्चात् ऐसी समस्त कार्यवाहियों, जो इस प्रकार अभिगृहीता किये गये स्टाक और पशुओं, गाड़ियों, जलयानों या अन्य वाहनों को किसी न्यायालय में पेश किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये और इस प्रकार पेश किये जाने तक उनकी निरादन अभिरक्षा के लिये आवश्यक हो, कर सकता है या करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है।

9— राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये गजट में शक्ति

नियम बनाने की

अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है।

10— (1) उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दण्ड) अध्यादेश, 1976 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या
22, 1976

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी।

THE UTTAR PRADESH ELECTRIC WIRE AND TRANSFORMERS [PREVENTION AND PUNISHMENT OF THEFT) ACT, 1976]

[U. P. ACT No. XLII OF 1976]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on November 9, 1976
and by the Uttar Pradesh Legislative Council on November 10, 1976.]

Received the assent of the Governor on November 19, 1976 under Article
200 of 'the Constitution of India' and was published in the Uttar Pradesh Gazette
Extraordinary, dated November 22, 1976.]

A
N

A
C
T

to control the serious menace of theft of electric wires and transformers
belonging to the Uttar Pradesh State Electricity Board by providing for punishment
for an authorized possession of the same or parts thereof or metals used in their
manufacture and for matters connected therewith.

IT is HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as
follow: --

Short title, Transformers extent and commencement	1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Electric Wire and (Prevention and Punishment of Theft) Act, 1976.
Pradesh.	(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.
	(3) It shall be deemed to have come into force on August 20, 1976.
Definitions	2. In this Act, unless the context otherwise requires -- (a) 'aluminium' includes every form of aluminum including ingot, melted or finished form : (b) 'copper' includes every form of copper including ingot, melted or finished form ; (c) 'licensing authority' means the District Magistrate of the district or any other officer authorized by him to perform any of the functions of the District Magistrate under this Act.
Restrictions or on sale and storage of aluminium and copper	3. (1) No person shall carry on the business of purchase or sale of aluminium copper or store it for carrying on such business except under a licence granted by the Licensing Authority of the district in which he ordinarily resides or carries on business. (2) The procedure for grant of such licence, its period of validity, for its suspension or cancellation, for appeals against refusal, suspension or cancellation of licence, the fees in respect thereof, the register and accounts to be maintained by the licensee, and the returns to be furnished by him, shall be as may be prescribed.
[The Uttar Pradesh Electric Wire and Transformers (prevention and Punishment of Theft) Act, 1976] [Section 4-7]	(3) Where at any time any person has in his stock aluminium or copper in any quantity exceeding the quantity prescribed, he shall, for the purposes of this section, be deemed to have stored it for carrying on the business of purchase or sale of such aluminium or copper.
Declaration of	4. Any person who at the commencement of this Act, has in his stock existing stocks aluminium or copper in a quantity exceeding the quantity prescribed under section 3 shall declare such stock to the Licensing Authority within fifteen days from the date on which the quantity is first prescribed.
Penalty for possession of wire or transformers	5. Whoever is found or is proved to have been in possession of any electric wire or transformer or any part thereof or in possession (in a quantity exceeding electric that prescribed under section 3) of any copper or aluminium, whether in the form of ingot or in melted, finished or any other form- (i) which is reasonably suspected of having been stolen or unlawfully obtained, and in respect of which he fails to prove that it came into his possession lawfully; or (ii) which has not been declared by him under section 4 or, as the case may be, has not been shown in a register or return prescribed under section 3, shall be punishable- (a) for the first offence, with imprisonment for a term which may extend to three years, and also with fine, and in the absence of special and adequate reasons to be mentioned in the judgment of the Court, such imprisonment shall not be less than one year and such fine shall not be less than one thousand rupees;

(b) for the second or a subsequent offence with imprisonment for a term which may extend to five years and also with fine, and in the absence of special and adequate reasons to be mentioned in the judgment of the court, such imprisonment shall not be less than two years and such fine shall not be less than two thousand rupees.

Punishment connivance offence	6. Any owner or occupier of land or building or any agent of such owner or for occupier in charge of the management of that land or building, who willfully at connives at contravention of the provisions of this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine, or with both.
Power of order of etc.	7. Any court trying an offence punishable under this Act may order the Court to forfeiture to Government of any property in respect of which the Court is satisfied that an offence under this Act has been committed and may also vehicles order the forfeiture of any receptacles, packages or coverings in which such property is contained, and the animals, vehicles or other conveyances used in carrying the property.
[The Uttar Pradesh Electric Wire and Transformers (prevention and Punishment of Theft) Act, 1976] [Section 8-10]	
Powers of the Authority place, contravention ;	8. The Licensing Authority or any other officer authorized by the State Licensing Government in this behalf may, with such assistance, if any, as he thinks fit- (a) require the owner, occupier or any person in charge of any premises, vehicle, or vessel in which he has reason to believe that any contravention of the provisions of this Act or of the conditions of any licence issued thereunder has been, is being or is about to be committed, to produce any books, accounts or other documents showing transactions relating to such (b) enter, inspect or break open and search any place or premises, vehicle or vessel in which he has reason to believe that any contravention of the provisions of this Act or of the conditions of any licence issued thereunder, has been, is being or is about to be committed ; (c) take or cause to be taken, extracts or copies of, any documents, showing transactions relating to such contravention ; (d) search, seize, and remove stocks of aluminium and copper and the animals, vehicles, vessels, or other conveyance used in carrying the same in contravention of the provisions of this Act, or of the conditions of the licence issued thereunder, and thereafter, take or authorize the taking of all measures necessary for securing the production of such stocks and the animals, vehicles, vessels or other conveyances so seized, in a court and for their safe custody pending such production.
Power to make rules	9. The State Government may by notification in the Gazette make rules to carry out the purposes of this Act.
Repeal and 10.	(1) The Uttar Pradesh Electric Wire and Transformers (Prevention and savings Punishment of Theft) Ordinance, 1976, is hereby repealed.
U. P. Ordinance no.	(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the

22 of 1976 said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

